न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना आई.ए.एस

अपील संख्याः 263/2014 एल.आर.एक्ट

साहबराम पुत्र देवाराम जाति सुथार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

..... अपीलांट

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र देवारा जाति सुथार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती इन्द्रा बेवा बगड़ावत सन ऑफ देवाराम जाति सुथार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती जमना पुत्री देवाराम धर्मपत्नी फूसाराम जाति सुथार निवासी लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती कलावती पुत्री देवाराम धर्मपत्नी चेतराम जाति सुथार निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती चावली पुत्री देवाराम धर्मपत्नी मितरूराम जाति सुथार निवासी धतुरवाली पो. ऑ. धनूर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. श्रीमती गुड्डी पुत्री देवाराम धर्मपत्नी ओम प्रकाश जाति सुथार निवासी शहिदावाली पो. ऑ. शहिदावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)
7. श्रीमती कमला पुत्री देवाराम धर्मपत्नी रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी शहिदावाली पो. ऑ. शहिदावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)
8. श्रीमती नोरंगी पुत्री देवाराम धर्मपत्नि बनवारीलाल जाति सुथार निवासी चोटाल (हरियाणा)
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, भू अभिलेख पदमपुर
10. ग्राम पंचायत गंगुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

.....रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री राजकुमार व्यास, अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री विजय भादाणी अभिभाषक रेस्पो. नं. 6, 7
3– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 13–11–2019

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार भू.अ., पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा प्रकरण संख्या 3/2007 अनुवारी साहबराम बनाम चावली वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 17–11–2007 के विरूद्व पेश हुई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि देवाराम पुत्र गणेशाराम सुथार के चक 59 आर. बी. में मु. नं. 33 रकबा 0.228 हैक्टैयर नहरी, मु.नं. 41 रकबा 2.302 हैक्टेयर नहरी, मु.नं. 42 रकबा 6.200 हैक्टेयर नहरी व मु.नं. 46 रकबा 5.466 हैक्टेयर नहरी कुल 14.196 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि थी। देवाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08–02–1990 को मु.नं. 42 की 5 बीघा भूमि अपीलांट के नाम से व 5 बीघा भूमि रेस्पोडेंट नं 2 के पति के नाम से रजिस्टर्ड वसीयत करा दी थी। उक्त वसीयत में से 5 बीघा भूमि का इन्तकाल तो

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बगड़ावत रेस्पोडेंट नं 2 के पति के नाम से दर्ज हो गया लेकिन अपीलांट साहबराम को वसीयत की गई 5 बीघा भूमि को वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज न करते हुए विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया है वो पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है। इस प्रकार एक ही वसीयत की भूमि में से बगड़ावत के नाम तो वसीयत के मुताबिक और अपीलांट साहबराम के नाम वसीयत के मुताबिक दर्ज न करते हुए विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये है। श्योनारायण व बगड़ावत के नाम से भूमि महज इस आधार पर दर्ज कर दी गई कि बाधूदेवी, जमुनादेवी, कलावती देवी व नोरंगदेवी ने 10 बीघा भूमि की निस्वत दस्तबरदारी उनके दोनो के पक्ष में करा दी गई थी। कानूनन कोई व्यक्ति दस्तबरदारी करता है तो वो तमाम हिस्सेदारान के पक्ष में ही हो सकती है। इस प्रकार अपीलांट के साथ में सख्त गैर इंसाफी हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–11–2007 निरस्त फरमाया जावें।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 1, 2, 3, 8 के निमित जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 4 व 5 के निमित अखबार में सम्मन प्रकाशित किये जाने के बावजूद भी न तो वे स्वयं उपस्थित आये और ना ही उनकी तरफ से कोई वैधानिक प्रतिनिधि उपस्थित आयें।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुऐ कहा कि देवाराम पुत्र गणेशाराम सुथार के नाम से कृषि भूमि चक 59 आर बी में 15 बीघा खातेदारी थी उक्त 15 बीघा भूमि में से उसने 5 बीघा भूमि अपने पुत्र साहबराम (अपीलांट) के नाम व 5 बीघा भूमि अपने दूसरे पुत्र बगड़ावत के नाम जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 8–2–90 को कर दी, शेष 5 बीघा भूमि अपने नाम रखी। देवाराम की दिनांक 2–6–90 को मृत्यु हो जाने के बाद ग्राम पंचायत, गंगूवाला द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल न दर्ज करते हुऐ विरासतन इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 5–4–2003 दर्ज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 5–4–2003 के विरूद्व साहबराम ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे निर्णय दिनांक 2–10–2005 द्वारा स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 129 निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिया गया कि गुणावगुण पर दोनों पक्षों को सुनकर वसीयत को ध्यान मे रखते हुऐ पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली हस्तान्तरण हो जाने पर तहसीलदार(भू.अ.), पदमपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–11–2007 में अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 8–2–90 को लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार देवाराम 15.04 बीघा में से 1/4 हिस्से की वसीयत करने का अधिकारी था, जबकि अपीलाधीन आदेश में कहीं नहीं लिखा गया कि दिनांक 8–2–90 को क्या प्रावधान लागू थे। आदेश जैर अपील स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा मे नहीं आता है। श्योनारायण व बगड़ावत के नाम जो 5–5 बीघा भूमि का इन्तकाल दर्ज करना बताया है वह बाधूदेवी, जमना, कलावती, नौरंगी द्वारा इन दोनों के हक में रिलीज डीड के अधार पर होना बताया है, जो कि विधिक रूप से गलत है, क्योंकि रिलीज डीड किसी व्यक्ति विशेष के हक में नहीं होती बल्कि शेष वारिसान के पक्ष में होती है। रिलीज डीडी के अनुसार जमीन शेष वारिसानो के नाम दर्ज होनी चाहिऐ थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–11–2007 निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट के हक में की गई वसीयत के अनुसार इन्तकाल तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

5. रेस्पोंडेंट नं. 6 व 7 के विद्वान अभिभाषक ने बहस करते हुऐ कहा कि देवाराम को विरासतन में मिली भूमि का कुल 304 हिस्सा अर्थात 15.04 बीघा रकबे का देवाराम के देहान्त हो जाने के बाद विरासतन इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 5–4–2003 विधिनुसार दर्ज हुआ। अपीलांट साहबराम के पक्ष में की गई कथित वसीयत विधि अनुरूप नहीं है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत पेश होने से पूर्व विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका था। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसमें अधिकार तय नहीं होते है। साहबराम वसीयत के आधार पर अपना हक जताता है तो उसे सक्षम न्यायालय में वसीयत को साबित करवानी होगी। साहबराम ने विरासतन नामान्तरकरण संख्या 129 को विधि के प्रावधानों के विपरीत बताया है जबकि विरासतन में प्राप्त भूमि में से अपनी बहन चावली से अपने पक्ष में दस्तबरदारी पंजिकृत करवाई है। रेस्पोंडेंट नं. 6 व 7 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष में आर.आर.डी. 1998 (आरबी) पृष्ठ 553, आर.आर.डी. 2008(एचसी) पृष्ठ 186, एवं आर.आर.डी. 2018 पृष्ठ 195 न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुऐ अपील अपीलांट खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि अपीलांट व अपीलांट के भाई बगड़ावत के पक्ष में 5–5 बीघा की वसीयत थी, नामान्तरकरण संख्या 129 वसीयत के आधार पर न दर्ज कर विरासतन दर्ज किया गया। जिसे उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड करते हुऐ निर्देश दिये गये कि वसीयत को ध्यान में रखते हुऐ सभी पक्षकारों के सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8–2–90 को लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार देवाराम 15.04 बीघा में से 1/4 हिस्से की वसीयत करने का अधिकारी था, जबकि अपीलाधीन आदेश में कहीं नहीं लिखा गया कि दिनांक 8–2–90 को क्या प्रावधान लागू थे। श्योनारायण व बगड़ावत के नाम से भूमि महज इस आधार पर दर्ज कर दी कि बाधूदेवी, जमुनादेवी, कलावती देवी व नोरंगदेवी ने 10 बीघा भूमि की निस्वत दस्तबरदारी उनके दोनो के पक्ष में करा दी गई थी। कानूनन कोई व्यक्ति दस्तबरदारी करता है तो वो तमाम हिस्सेदारान के पक्ष में ही हो सकती है। रेस्पोडेंट नं 6 व 7 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसमें अधिकार तय नहीं होते है। साहबराम वसीयत के आधार पर अपना हक जताता है तो उसे दावें में वसीयत को साबित करवानी होगी। न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट वसीयत के आधार पर अपना हक चाहा रहा है दुसरी ओर विरासतन इन्तकाल के आधार पर प्राप्त भूमि में से अपनी बहन चावली से अपने पक्ष में दस्तबरदारी पंजिकृत करवा रखी है। इस प्रकार अपीलांट का तर्क विरोधाभाषी होने से न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करना उचित प्रतीत नहीं होने से विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया है, वह उचित आदेश है ।

7. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) पदमपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–11–2007 यथावत रखा जाता है। अपीलांट सक्षम सिविल न्यायालय से वसीयत प्रोवेट (Probet) करवाने हेतु स्वतंत्र है ।

8. तद्नुसार अपील निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–11–2019 लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 13:10:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: